

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

**मांग संख्या 46**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	110.00	5.68	115.68	85.00	5.68	90.68	180.00	6.55	186.55	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	<b>110.00</b>	<b>5.68</b>	<b>115.68</b>	<b>85.00</b>	<b>5.68</b>	<b>90.68</b>	<b>180.00</b>	<b>6.55</b>	<b>186.55</b>	
1 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं मछली पालन	3451	10.00	3.86	13.86	4.50	3.86	8.36	10.00	4.05	14.05
2. समुद्री मछली पालन	2405	34.00	...	34.00	10.00	...	10.00	49.00	...	49.00
<b>खाद्य भंडारण और भांडागार</b>										
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागार के अन्य कार्यक्रम										
3.01 चावल मिलों का आधुनिकीकरण	2408	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
3.02 बागवानी आधारित उद्योग	2408	49.00	1.57	50.57	59.00	1.57	60.57	93.00	1.65	94.65
3.03 दुग्ध आधारित उद्योगों के लिए अनुदान	2408	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	10.00	...	10.00
3.04 मांस खाद्य उत्पाद आर्डर	2408	...	...	...	...	...	...	...	0.60	0.60
<b>जोड़ - खाद्य भंडारण और भांडागार के अन्य कार्यक्रम</b>		<b>55.00</b>	<b>1.82</b>	<b>56.82</b>	<b>62.00</b>	<b>1.82</b>	<b>63.82</b>	<b>103.00</b>	<b>2.50</b>	<b>105.50</b>
4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	11.00	...	11.00	8.50	...	8.50	18.00	...	18.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>110.00</b>	<b>5.68</b>	<b>115.68</b>	<b>85.00</b>	<b>5.68</b>	<b>90.68</b>	<b>180.00</b>	<b>6.55</b>	<b>186.55</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	10.00	...	10.00	4.50	...	4.50	10.00	...	10.00
2. मत्स्य पालन	12405	34.00	...	34.00	10.00	...	10.00	49.00	...	49.00
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागार	12408	55.00	...	55.00	62.00	...	62.00	103.00	...	103.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	11.00	...	11.00	8.50	...	8.50	18.00	...	18.00
<b>जोड़</b>		<b>110.00</b>	<b>...</b>	<b>110.00</b>	<b>85.00</b>	<b>...</b>	<b>85.00</b>	<b>180.00</b>	<b>...</b>	<b>180.00</b>

1. इसमें मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय और संस्थानों के लिये सहायता के लिए प्रावधान किया गया है।

2. यह व्यवस्था खाद्य पार्कों, पैकेजिंग केंद्र, बूचड़खानों के आधुनिकीकरण, समन्वित शीतागार क्षुखला सुविधाओं, प्रदीपन सुविधाओं तथा मूल्य वर्धित केंद्रों के लिए अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए है।

3. यह प्रावधान चावल मिलिंग सेल की स्थापना पर व्यय के लिये

है; (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण (ii) अग्र एवं पश्च एकीकरण और अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की स्कीम और (iii) मानव संसाधन विकास स्कीम और गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों तथा अनुसंधान एवं विकास के लिये अनुदानों के रूप में सहायता देने हेतु, किया गया है।

4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।